

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
देवबन्द

सेविल सर्विस

ब्लाक :-

पत्र संख्या 3881 /वि०वि०ख०/ई-5/

पोस्ट सर्टिफिकेट के द्वारा

दिनांक 14/09/22

विषय : निजी नलकूप कनेक्शन हेतु।

सेवा में,

श्री सैफुल्लाह पुत्र श्री फिरगी
ग्राम वीरपुर नायक पोस्ट खैडा मुगल जिला सहारनपुर।
महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि BMP हा० पा० नलकूप/पम्प सैट की
विद्युत स्वीकृति नं० 36527/ दिनांक 36527/ देने में अंकन रुपया 36527/ केवल
का एस्टीमेट बनाया गया है तथा इस कनेक्शन को देने में X मीटर लम्बी एच.टी./एल.टी.
लाईन तथा X के. वी. ए. का नया सब स्टेशन बनाने के लिये
निम्नलिखित व्यय होगा।

विवरण

1. प्रतिभूति राशि

(1) निजी नलकूप @ रु० 225
प्रति हा० पा० के साथ रु०
300 मात्र बत्ती/पंखा वास्ते

रु० 2700/-

(2) सर्विस कनेक्शन चार्ज

रु० 3000/-

2. निर्धारित सीमा से अधिक
लाईन बनाने का व्यय (Out
Right Payment) यह धन
आपको वापिस नहीं होगा।

रु० 36527/-

योग

39227/-

Thirtynine thousand two hundred twentyseven only

1. उपरोक्त घनराशि इस पत्र पर अंकित दिनांक से एक महीने के अन्दर जमा करा दें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं और आपकी स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी तथा 25 रुपये घनराशि जप्त कर ली जायेगी।
2. अनुबन्ध करते समय दो गवाहों एवं 100 रुपये का स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp) एवं उपभोक्ता अपना फोटो, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित सहित किसी भी कार्य दिवस पर शनिवार को छोड़कर जमा करा सकते हैं।
3. आप अपनी विद्युत भार स्वीकृति तथा जमा किये हुये घन की समस्त रसीदे साथ लायें।
4. घन केवल 9 से 12 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर जमा करा सकते हैं। शनिवार तथा पाह के अन्तिम दिन भुगतान केवल 9 से 11 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।
5. मीटर निरीक्षण शुल्क स्टेट बैंक में धोलान फार्म जमा कराना आवश्यक है। रुपये जमा कराने का बैंड निम्न प्रकार है 043 Other Taxes Electricity Duty.
6. आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं सम्बन्धित 33 के०वी० विद्युत सब स्टेशन (सम्बन्धित) से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू करेगा।
7. आपको अपना पम्प हाऊस बनाते हुए आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा, अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाईन व सब स्टेशन हेतु भी देय होगी।
8. कनेक्शन हेतु लाईन सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी वह भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।
9. ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो कापी भी साथ लायें।

नोट :- 1. कम संख्या 6, 7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च को आपके स्टीमेट से कम कर दिया है तथा 180 रुपये प्रति 10 मीटर की दर से ली गई है।

2. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखरी खम्बे तथा एंगिल पोल तथा स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी।

प्रति खम्बा सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.45 घन फीट, मिट्टी 9.10 घन फीट

प्रति स्टे सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घन फीट, मिट्टी 3.7 घन फीट

3. आपके कार्य करने के लिये मजदूरों की आवश्यकता होगी। आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त प्रस्ताव में परिवर्तन करने एवं प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

संख्या 3881 दिनांक 14/09/22

प्रतिलिपि आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित-

1. उपखण्ड अधिकारी वि० वि० उपखण्ड

अधिशाली अभियन्ता